## 전-Po

## [देखिए नियम 9(3),(4) और (6)}

## वस् कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला

कमाक-राजस्ब / 2017 / 578-589

दिनाक—30.05.2017

## संपरिवर्तन आदेश

आवेदक महाराज पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सांखणताल जारेए अध्यक्ष राजेश कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी सांखणताल तहसील राजगढ जिला चूरू के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृत मे धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का नियम ९ के अधीन अकृषिक प्रयोजन के 1c लिए संपरिवर्तन किया जाता है,जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन) नियम,2007 के

- जिरिए अध्यक्ष राजेश कुमार पुत्र बजरंगलाल आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम,पिता/पति का नाम सहित तथा पूरा पता-जाति जाट निवासी सांखणताल तहसील राजगढ जिला चुरू महाराज पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सांखणताल
  - क्या आवेदक अनुसुचित जाति या अनुसुचित जनजाति का सदस्य है— 2
- 100 संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा–
  - (क) ग्राम– सांखणताल –ग्रा. पंचायत सांखणताल तहसील का नाम–राजगढ क्षेत्रफल भूमि की खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कूल <u>(ख</u> 7 1
- संपरिवर्तन For रोही सांखणताल के खप्तरा नम्बर 409 रकवा ४.43 हेक्टयर क्षेत्रफल को उपदर्शित करते संख्या के (हैक्टयर मे या वर्गमीटर मे)— प्रत्येक खसरा F
- नक्षा क में से 4050 हुए,राजस्व हैक्टयर् टिष्पणी– अकृषित प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते सुसंगत भाग की सम्यक रूप से प्रमाणित प्रति सलंग्न है। प्राम रोही सांखणताल के खरसरा नम्बर 409 रक्तवा 4.43
  - 4. सपंरिवर्तन का प्रयोजन– शैक्षणिक सस्थान
- 5. संदेय संपरिवर्तन प्रभारो की दर—5 रूपये प्रति वर्गमीटर
- चालान की संख्या और तारीख जमा करायी गयी प्रीमीयम की रकम 9
- संख्या और तारीख सहित शारित,यदि कोई हो, की जमा संख्या 0016987275 दिनाक 29.05.2017 राष्ट्रि 20250 रूपये। वालान

करायी 크 45 10 की संख्या और तारीख सहित ब्याज,यदि कोई वालान रकमω.

क्या आदेश विनिमियतिकरण के लिए नियम 13 के अधीन किया गया है—नहीं

10. अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो– भूमे खाली है।

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्ययीन होगा—

(क) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(ख) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करवायी गई प्रीमीयम धनराशि समपहत हो जावेगी।

(ग) नियम ४ मे यथावर्णित भूमि का उपयोग कृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(घ) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये 11015

(ड) संपरिवर्तित भूमि मे निर्माण सडक के मध्य से 50 मीटर छोड़कर किया जावेगा।

सिनगक (बुठा) 5.2017 विहित प्राधिकासी क 345908

कमाक-राजस्व / 2017

प्रतिलिपी–निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेत्

- 1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चूरू
  - तहसीलदार राजगढ
- उप पंजीयंक राजगढ
- ग्राम पंचायत सांखणताल

अध्यक्ष राजेश कुमार जिरिए बजरंगलाल जाति जाट निवासी सांखणताल तहसील राजगढ जिला चूरू आवेदक महाराज पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सांखणताल

विहित प्राधिकाकीक